



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273792
CG-DL-E-24062026-273792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3240]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 3240]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3374(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 22 जून, 2026 में का.आ. 3305(अ). तारीख 22 जून, 2026 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना में पैरा 1 के पंक्ति संख्या 1 में "(उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026" के स्थान पर "जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026" पढ़ा जाए।

[फा. सं. एन-17/14/2023-एनएम (8269)]

जी. मुथुराजा, संयुक्त सचिव